

Title: Need to set up a bench of Allahabad High Court in Meerut, Uttar Pradesh.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ।

महोदय, पश्चिम उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से हजारों की संख्या में वकील तथा विभिन्न जन-संगठनों के प्रतिनिधि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पश्चिम उत्तर प्रदेश में खंडपीठ को स्थापित किए जाने की वर्षों पुरानी मांग को लेकर आज एक बार फिर संसद भवन के सम्मुख उपस्थित हुए थे।

महोदय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ मेरठ में स्थापित करने की मांग निरंतर उठायी जाती रही है। मैंने पहले भी अनेक बार इस मांग को सदन में, तथा माननीय मंत्री जी के सम्मुख उठाया है। परन्तु, काल बाह्य नियमों एवं व्यवस्थाओं में खंडपीठ स्थापना के निर्णय की प्रक्रिया फंस कर रह जाती है। इसके परिणामस्वरूप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करोड़ों वादकारी आज भी सस्ते एवं सुलभ न्याय से वंचित हैं। इस अन्यायपूर्ण स्थिति के कारण वर्षों तक वकील की फीस देने तथा इलाहाबाद आने-जाने व ठहरने-खाने का इंतजाम करने में ही इस क्षेत्र के वादियों के खेत व मकान तक बिक जाते हैं।

उपाध्यक्ष जी, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की वर्तमान सरकार राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक जड़ता को नयी सोच व दृढ़ इच्छा-शक्ति के साथ समाप्त करते हुए आगे बढ़ रही है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से, तथा विशेषकर आदरणीय प्रधान मंत्री जी से निवेदन है कि वे उत्तर प्रदेश की संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उसमें व्याप्त जड़ता को समाप्त करने का कष्ट करें तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को न्याय दिलाने हेतु मेरठ में इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ की स्थापना कराने की कृपा करें।